दिनांक–12.08.2025 को अपराह्न 02:00 बजे से विडियो कॉन्फ्रेसिंग (BSWAN) के माध्यम से निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– संलग्न सूची के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। वस्तुस्थिति / निदेश निम्नवत् हैः–

(1). <u>21 वीं पशुगणनाः–</u>

21वीं पशुगणना अंतर्गत SNA-SPARSH द्वारा राशि आवंटित किये जाने हेतु सभी जिलों के जिला पदाधिकारी का CFMS.2 का User ID की आवश्यकता है। तदालोक में पशुपालन निदेशालय के ज्ञापांक – 2612 (नि०), दिनांक–23.07.2025 के माध्यम से सभी जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी को अपने जिलें के जिला पदाधिकारी कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर जिला पदाधिकारी का CFMS.2 का User ID प्राप्त कर पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया था।

उपर्युक्त की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई जिलों यथा अररिया, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्वी चम्पारण, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामंढ़ी एवं वैशाली से वांछित प्रतिवेदन / सूचना अप्राप्त है। साथ ही जिलों – अररिया, अरवल, बांका, भागलपुर, बक्सर, किशनगंज, लखीसराय, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा, सिवान एवं वैशाली से प्रगणको से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है।

21वीं पशुगणना अंतर्गत जिलों द्वारा वांछित प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध नहीं कराये जाने को लेकर असंतोष व्यक्त किया गया एवं तीन दिनों के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया।

(2). <u>एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण :–</u>

एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण (ग्रीष्म ऋतु) के जिलावार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई जिलों यथा–अररिया, औंरगाबाद, भोजपुर, गया, जमुई, जहानाबाद, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सीतामढ़ी एवं वैशाली के द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य शुरू नहीं किया गया है। भारत सरकार द्वारा ग्रीष्म ऋतु का डाटा eLiss web portal पर अपलोड किये जाने हेतु 31 अगस्त 2025 तक का समय निर्धारित किया गया है।

सर्वेक्षण कार्य की धीमी प्रगति को लेकर असंतोष व्यक्त किया गया एवं सर्वेक्षण कार्य ससमय पूर्ण किये जाने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही सर्वेक्षण के क्रम में विभिन्न पशु उत्पादों के उत्पादन का सही आँकड़ा अंकित किये जाने का निदेश दिया गया।

(3) **पैथोलॉजिकल लैब द्वारा जाँच कार्य की समीक्षाः—**

समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि जिला पशुपालन पदाधिकारी, अरवल एवं बांका द्वारा माह जुलाई—2025 में पैथोलॉजिकल लैब में एक भी जाँच नहीं कराया गया है तथा जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया, बक्सर, बेगूसराय, नालन्दा एवं वैशाली द्वारा बहुत ही कम संख्या में पैथोलॉजिकल लैब में जाँच कराया गया है, जिसके लिए खेद व्यक्त किया गया।

उक्त जिलों के साथ कम प्रगति वाले अन्य जिलों को कार्य में प्रगति लाने एवं पैथोलॉजिकल लैब में जाँच में तीव्रता लाने का निदेश दिया गया।

(4) **कृत्रिम गर्भाधान कार्य की समीक्षाः—**

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मुंगेर, शेखपुरा, मधुबनी, सीवान, दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर, सुपौल एवं भागलपुर जिलों के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान कार्य में लक्ष्य के विरूद्ध अपेक्षाकृत बहुत ही कम लक्ष्य प्राप्त किया गया है। इस संबंध में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति लाने हेतु संबंधित जिलों को निदेशित किया गया।

ABIP-SS अंतर्गत किए गए कृत्रिम गर्भाधान का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 3 (तीन) तारीख तक बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने तथा **ABIP-SS** योजनांतर्गत किए गए कृत्रिम गर्भाधान कार्यों से संबंधित डाटा का भारत पशुधन पोर्टल पर ससमय Upload कराना सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

(5) **एम्बुलेट्री भान द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा :—**

जुलाई, 2025 में एम्बुलेट्री भान द्वारा आयोजित शिविरों की संख्या के आधार पर बक्सर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, सुपौल एवं औरंगाबाद जिलो के द्वारा लक्ष्य के अनुरूप एक भी शिविर का आयोजन नहीं किया गया है तथा शेखपुरा, भोजपुर, बेतिया, मधुबनी, वैशाली, सिवान, गयाजी, शिवहर, सुपौल, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, लखीसराय, पूर्णियाँ, सारण, दरभंगा एवं सीतामढ़ी द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कम संख्या में शिविर का आयोजन किया गया है।

इस संबंध में लक्ष्य के अनुरूप शिविर आयोजन करने हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेशित किया गया। जिलों को प्रतिमाह शिविर आयोजित करने एवं लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कार्य में प्रगति लाने हेतु सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को भी आवश्यक अनुश्रवण हेतु निदेशित किया गया। साथ ही सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को जिलों में एम्बुलेट्री भान को कार्यशील रखने तथा विभागीय योजना/कार्यक्रम यथा— के0सी0सी0 के प्रचार—प्रसार में, एम्बुलेंस एवं एम्बुलेट्री कैम्प का पूर्ण सहयोग लिये जाने का निदेश दिया गया है।

(6) **पशु बांझपन निवारण शिविरः–**

पशु बाँझपन निवारण शिविर 2022–23 में आयोजित किए गए शिविरों का समेकित प्रतिवेदन नालंदा, भागलपुर, शेखपुरा, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, बेतिया, शिवहर, छपरा एवं सिवान से अप्राप्त है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शिवहर से अप्राप्त है। उक्त प्रतिवेदनों को अतिशीघ्र बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

पशु बाँझपन निवारण शिविर वित्तीय वर्ष 2023–24 में आयोजित किए गए शिविरों का अद्यतन समेकित प्रतिवेदन, भ्रमण/निरीक्षण प्रतिवेदन एंव प्रत्येक शिविर की फोटोग्राफी (कम से कम 5 Soft Copy में) की प्रति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र (वाउचर की प्रति सहीत) संबंधी प्रतिवेदनों को अतिशीध्र बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

(7) **बाढ़ /सुखाड़ 2025 हेतु पूर्व तैयारी की समीक्षाः–**

बाढ़/ सुखाड़ हेतु सभी जिलों के द्वारा चारा दर का निर्धारण कर लिया गया है। राज्य नोडल पदाधिकारी (आपदा) द्वारा बताया गया कि राज्य स्तर पर पशुपालन निदेशालय में आपदा नियंत्रण कक्ष तथा हेल्पलाईन नं0 0612–2230942 कार्यरत है एवं पंजी संधारित का कार्य किया जा रहा है।

निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना के कार्यालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जिसका दूरभाष सं0–0612–2226049 हेल्पलाईन कार्यरत है एवं पंजी संधारित की जा रही है।

निदेशक, पशुपालन द्वारा बाढ़ से प्रभावित जिलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी को शिविर की संख्या बढ़ाने तथा शिविरों में आश्रित पशुओं के चारा आदि की समूचित व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।

(8) **समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजना –**

- समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत 20+1 एवं 40+2 के लाभुको का अंतिम रूप से चयन प्रमंडल स्तर से पूर्ण किये जाने की स्थिति की समीक्षा के क्रम में सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर सभी योग्य लाभुकों का अंतिम रूप से चयन कर स्वीकृति पत्र निर्गत किया जाय।

- जिला स्तर से और प्रमंडल स्तर से 100+5 और 500+25 क्षमता के बकरी फार्म जाँच कर निदेशालय भेजे जाने की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी एवं सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अन्दर सभी योग्य लाभुकों का प्रतिवेदन प्रपत्र–4 के साथ अनुशंसा कर निदेशालय को भेजा जाय।

- राज्य नोडल पदाधिकारी, बकरी विकास द्वारा सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी से अनुदानित दर पर तीन प्रजनन योग्य बकरी वितरण की योजना में आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन के संबंध में सभी इच्छुक बकरीपालकों के बीच में अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करने का अनुरोध किया गया।

- बकरी पालक सहयोग समिति के निबंधन के संबंध में–अभी तक कुल 33 सहयोग समिति के निबंधन किये जाने से संबंधित प्रतिवेदन (मोतिहारी–7, भागलपुर–11, मुंगेर–7, मधेपुरा–1, मधुबनी–6 एवं लखीसराय–1) प्राप्त हुआ है। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी से अनुरोध किया गया कि डॉक्युमेंट को ऑनलाईन करवाने का प्रयास किया जाए, जल्द ही राज्य स्तर से कॉपरेटिव के सचिव महोदय के स्तरी से सभी प्रश्नों/बिंदुओं का निरराकरण करने का प्रयास किया जाएगा।

- PM-DAJGUA के तहत पश्चिम चंपारण और गयाजी जिलो से प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है। यथाशीघ्र प्रतिवेदन भेजने हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकार को निदेशित किया गया।

(9) **<u>स्थापना संबंधी मामलों की समीक्षा –</u>**

➢ परियोजना निदेशक, बी0 एल0 डी0 ए0, पटना के माध्यम से आउटसोर्सिंग कम्पनी के द्वारा पशुपालन निदेशालय अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध कराये गये मानव बल के योगदान स्वीकार करने हेतु सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी विशेष उप निदेशक, (प0 वि0)/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेशित किया गया।

➢ HRMS के अन्तर्गत Cadre Mapping सभी कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों का शत् प्रतिशत किये जाने हेतु पूर्व में सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेशित किया गया था। जिसके आलोक में 215 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी में से 182 द्वारा शत् प्रतिशत कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों का Cadre Mapping कर दिया गया है परंतु अभी भी शेष 33 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यथा–पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/ क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, सारण (छपरा)/विशेष उप– निदेशक (प0 वि0) फ्रोजेन सिमेन बैंक –सह– बुल स्टेशन, पटना/चारा विकास पदाधिकारी कार्यालय, पटना/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, किशनगंज, पश्चिम चम्पारण, सुपौल/अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, मोतिहारी, हाजीपुर (वैशाली), दानापुर, कटिहार, भभुआ, आरा सदर (भोजपुर), सदर दरभंगा, मसौढ़ी, बाँका, वीरपुर (सुपौल), बेगुसराय/ पशु शल्य चिकित्सक कार्यालय, बाँकीपुर (पटना), दानापुर, सुपौल/सहायक निदेशक (प0 वि0), मुजफ्फरपुर, दानापुर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण/सहायक निदेशक (पॉल्ट्री)

क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर/ परियोजना पदाधिकारी (प० वि०) फ्रोजेन सिमेन बैंक, बाँका के द्वारा शत् प्रतिशत Cadre Mapping का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, निदेशित किया गया कि शेष बचे कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों के Cadre Mapping का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाय।

- सभी कार्यालय प्रधान को निदेशित किया गया कि सभी तरह की छुट्‌टी स्वीकृत/अस्वीकृत HRMS के अन्तर्गत Leave Management के माध्यम से हीं किया जाय।

- पशुपालन निदेशालय के पत्र के माध्यम से सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को प्रत्येक माह के 08 (आठ) तारीख तक सेवान्त लाभ संबंधित मामले की अधीनस्थ कार्यालयों के साथ समीक्षा कर निष्पादन करते हुए अद्यतन प्रतिवेदन पाँच प्रपत्रों में भेजे जाने हेतु निदेशित किया गया था। परन्तु कुछ क्षेत्रीय निदेशक कार्यालयों द्वारा ससमय प्रतिवेदन प्राप्त नहीं कराया जा रहा है। क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, सहरसा द्वारा पाँचों विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

- सभी कार्यालयों में बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से कर्मियों के द्वारा अपनी उपस्थिति ससमय दर्ज किया जाना है। जिला मुख्यालय में अवस्थित कार्यालयों में बायोमैट्रिक प्रणाली के स्थापित होने के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। बहुत सारे जिला मुख्यालय में अवस्थित कार्यालयों में बायोमेट्रिक प्रणाली सबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है, निदेशित किया गया कि तीन दिनों के अंदर प्रतिवेदन निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/–

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक –12 नि०/प०ग० (बैठक) 02/2018 (खण्ड) 3116 नि० पटना–15, दिनांक 28/08/2025

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन, निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/ चारा विकास पदाधिकारी, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, (सूचना एवं प्रसार), बिहार, पटना/गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पशुपालन निदेशालय के सभी प्रभारी पदाधिकारी/वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय आई०टी० मैनेजर को ई०मेल करने एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/8/25

संयुक्त निदेशक (प0 स्वा0)।